



राजस्थान सरकार  
निदेशालय, महिला अधिकारिता  
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर



क्रमांक प.- 1(3)(160) मअ/स्था/2019/ 15524

जयपुर, दिनांक : 20-08-2020

आदेश

निदेशालय महिला अधिकारिता के अन्तर्गत जिले में ब्लॉक स्तर पर नव चयनित सुपरवाइजर, महिला अधिकारिता का मुख्यालय संबंधित ब्लॉक में स्थित बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में रहेगा। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी के अन्य कार्मिकों के साथ सुपरवाइजर, महिला अधिकारिता की उपस्थिति दर्ज की जायेगी।

उपस्थिति के आधार पर संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा मासिक उपस्थिति की सूचना संबंधित जिले के उपनिदेशक/सहायक निदेशक महिला अधिकारिता को भिजवाना सुनिश्चित करें।

(के.के. पाठक)

शासन सचिव

महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक प.- 1(3)(160) मअ/स्था/2019/ 15525-16054 जयपुर, दिनांक : 20-08-2020  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सहायक, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर
3. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
4. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, मबावि., जयपुर।
5. निदेशालय महिला अधिकारिता के समस्त प्रभारी अधिकारी .....
6. उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, मबावि. समस्त।
7. उप निदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, समस्त।
8. बाल विकास परियोजना अधिकारी, मबावि. संबंधित ब्लॉक .....
9. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
10. समस्त सुपरवाइजर, महिला अधिकारिता, ब्लॉक ..... जिला .....
11. आदेश पत्रावली।

आयुक्त

महिला अधिकारिता